कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ।

संख्या – 133 /अन्तरिम व्यवस्थापन/2020–21/जि0आ0अ0/प्रतापगढ़/ दिनांक :1 जून 2020

विज्ञप्ति

अपरिहार्य कारणों से कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश द्वारा देशी शराब दुकान कुशहा, बाबागंज कुण्डा व दौलतगंज जनपद प्रतापगढ़ के वर्ष 2020–21 के अनुज्ञापन को निलम्बित कर दिया गया है। प्रश्नगत दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन दिनांक 04–06–2020 से 17–06–2020 तक दैनिक आधार पर 14 दिवस की अवधि अथवा नियमित व्यवस्थापन होने तक, जो भी पहले हो के लिये दैनिक आधार पर 14 दिन के निर्धारित एम0जी0क्यू0 पर आफर मांगकर व्यवस्थापन किया जाना है जिसका कार्यक्रम निम्नवत् है :–

1	**आफर प्रस्तुत करने के प्रारम्भ की तिथि**	**दिनांक 02.06.2020 से**
2	**आफर जमा करने की अन्तिम तिथि**	**दिनांक 04.06.2020 को दोपहर 14.00 बजे तक**

उक्त दुकानों का 14 दिन का न्यूनतम एम0जी0क्यू0 कमशः 319 ब0ली0, 320 ब0ली0 व 446 है तथा इस पर 30 रू0 प्रति ब0ली0 की दर से नयूनतम बेसिक लाइसेंस फीस कमशः रू0 9,570/–,रू0 9,600/– व रू0 13,380/– देय होगा। आवेदक को पैन कार्ड आधार कार्ड कि सत्यापित छायाप्रति के साथ दिये गये आफर में आवेदित एम0जी0क्यू0 × रू0 30 के समतुल्य डी0डी0 जो कि जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ के पक्ष में देय होगा संलग्न करना अनिवार्य है। आफर समस्त संलग्नको सहित सील बन्द लिफाफे में स्वीकार किये जायेंगे। सभी आवेदको के समक्ष दिनांक 04.06.2020 को दोपहर 15.00 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ में आफर खोल कर सर्वोच्च आफर वाले आवेदक का चयन किया जायेगा। एक समान आफर प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लाटरी के द्वारा किया जायेगा। विज्ञप्ति के उपरान्त भी दैनिक आधार पर किसी दुकान के अव्यवस्थित होने पर उनके दैनिक आधार पर संचालन हेतु प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक क्षेत्र– 1, 3 व 4 प्रतापगढ़ से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

01/06/2020

(राजेश कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
प्रतापगढ़।

संख्या–134 /व्यवस्थापन/2020–21/जि0आ0अ0/प्रतापगढ/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना अधिकारी प्रतापगढ़ को दस प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

3–आबकारी निरीक्षक क्षेत्र– 1, 3 व 4 को उपरोक्तानुसार अपने क्षेत्र की दुकानों का दैनिक आधार पर व्यवस्थापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– सम्पादक समाचार पत्र लोकमित्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रतापगढ़ सिटी पेज पर 13 से0मी0×13 से0मी0 (लगभग) के बाक्स में न्यूनतम निर्धारित सरकारी दर पर प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें।

01/06/2020

(राजेश कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
प्रतापगढ़।

Scanned by CamScanner